IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

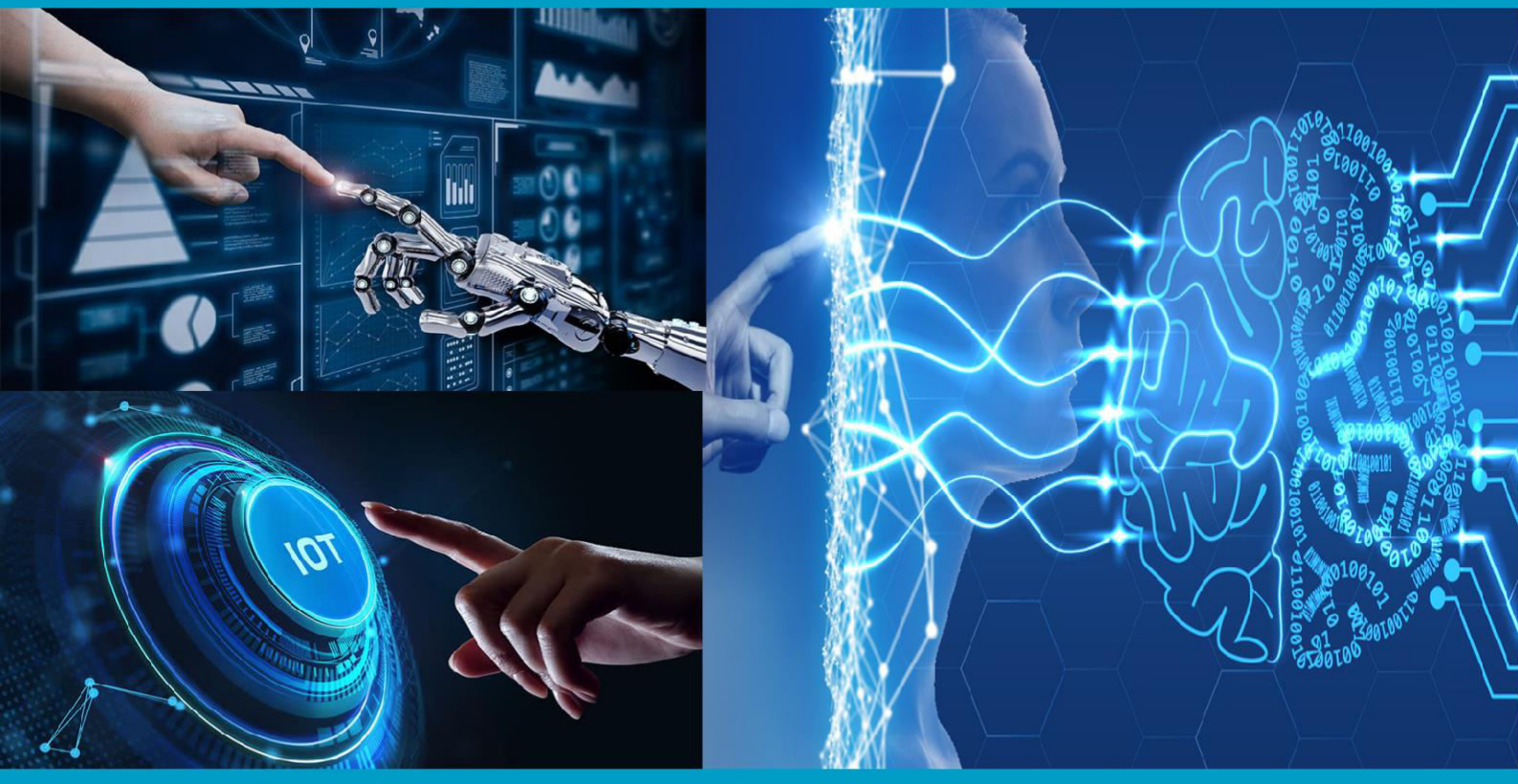

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 9, Issue 4, April 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Dr. Sanjay Kumar

Assistant Professor, Dept. of Sociology, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सार

तमिलनाडु समेत भारत के कई क्षेत्रों (जैसे- हरियाणा) में अंतरजातीय विवाह के विरोध में "ऑनर किलिंग" की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। दलित वर्ग से जुड़े व्यक्ति ऐसे अपराधों के विरुद्ध सुभेद्य माने जाते हैं। यद्यपि एस.सी/एस.टी. जैसे कठोर कानून मौजूद हैं फिर भी परिजनों द्वारा सामजिक प्रतिष्ठा के दबाव में ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता हैं। केवल तमिलनाडु में ही 2013 से 2019 के मध्य ऐसी 192 घटनाएँ दर्ज की गई। यह घटना 2003 में घटी थी जिसमें सजा मिलने में 18 साल का वक़्त लग गया।

भारतीय समाज में आज भी जातियां आर्थिक-सामजिक-राजनीतिक हैसियत निर्धारित करती हैं I भारत में सामाजिक गतिशीलता अभी भी काफी कम हैI भारतीय संविधान में वर्णित बन्धुत्व के विचार को परम्परागत समाज में उस तरह से स्वीकार्यता नहीं मिल पायी है जैसी आवश्यकता थी I

परम्परागत समाज युवाओं विशेषकर महिलाओं के 'चयन की स्वतंत्रता' के अधिकार का सम्मान नहीं करताI आज भी लड़कियों को पढ़ने,नौकरी करने के लिए घर से बाहर भेजे जाने को लेकर नकारात्मकता विद्यमान है I

समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति परिवार के मूल्यों को आत्मसात करता है I जाने अनजाने वो जिन मूल्यों / परम्पराओं के बीच रहता है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है I जाति व्यवस्था के स्थायित्व के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति सामाजिक, पारिवारिक स्वीकार्यता है।

परिचय

अंतरजातीय विवाह का समर्थन करने वाले प्रावधान

1. संवैधानिक प्रावधान -

भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा जैसे मूल्यों पर जोर देता है I संविधान राज्य (सरकार और संस्थाएं) और नागरिकों से इसी नैतिकता के अनुपालन की अपेशा करता है किन्तु परम्परागत समाज संवैधानिक नैतिकता को अपने जीवन में अंगीकृत नहीं कर पाया है I इसीलिए आज भी जातिगत वैमनष्य, लैंगिक भेदभाव, साम्प्रदायिकता देखने को मिलती है I जिसकी चरम परिणति अंतरजातीय विवाह/अंतर्धार्मिक विवाह के नाम पर ऑनर किलिंग की घटनाओं में परिलक्षित होती है I

2. वैधानिक प्रावधान जैसे -एस.सी/एस.टी अधिनियम –

एस.सी./एस.टी. समुदाय अपराधों के प्रति सुभेद्य है I अनेक संवैधानिक/वैधानिक प्रयासों के बावजूद इस समुदाय के विरुद्ध अपराधिक घटनाओं की प्रवृति देखने को मिल रही थी I अपराधियों में विशेष प्रकार का पूर्वाग्रह (जातिगत वैमनष्य)व्याप्त थाI

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

ऐसी परिस्थितियों में भारतीय संसद द्वारा 1989 में पारित एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत ऐसे 22 कृत्यों को अपराध के रुप में सूचीबद्ध किया गया है जो एस.सी./एस.टी. समुदाय के किसी व्यक्ति को अपमानित करता हो अथवा उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा सकता हो I किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और किसी व्यक्ति के आर्थिक, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन करने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है I[1]

इसे संगीन अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है I और अपराधियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है I

यद्यपि अंतरजातीय विवाह करने वाले बालिग़ जोड़े को क़ानूनी सुरक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान किये गये हैं किन्तु इनका कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो सका है I

3. वैज्ञानिक आधार –

भारत में जीनोम फिंगर प्रिंट के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रोफ़ेसर लालजी सिंह के अनुसार एक ही जाति में विवाह करने से आनुवांशिक बीमारियों का ख़तरा बढ़ सकता है I वो दावा करते है कि अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी जनजातियां पूरी दुनिया से अलग-थलग रहकर एक सीमित क्षेत्र में रहीं। उनमें वैवाहिक संबंध भी आपस में ही बनें। इससे आनुवंशिक विकृतियाँ पैदा हुईं और वे लगातार अनजानी बीमारियों से मर रहे हैं। प्रो. सिंह ने कहा कि इसी कारण भारत में प्रारंभ से ही समगोत्र विवाह का विरोध किया गया ।

4. आधुनिक नैतिकता –

आधुनिक काल की नैतिकता मानव केन्द्रित है I जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसे निर्णय लेने की पूर्व स्वतंत्रता प्रदान करती हैI वैवाहिक संबंधों के निर्माण में राज्य, समाज और परिवार की भूमिका और दबाव को निषेध करती हैI कार्ल मार्क्स जैसे भौतिकवादी दार्शनिक तो विवाह संस्था को शोषण का उपकरण मान कर इसे पूर्णतया खारिज करती हैI मेट्रोपोलिटन शहरों में 'लिव-इन-रिलेशनशिप' की संस्कृति इसी आधुनिक नैतिकता की उपज है I अर्थात आधुनिक नैतिकता अंतरजातीय विवाह को नैतिक रूप से समर्थन देती है क्योंकि विवाह दो व्यक्तियों का निजी मामला है जिसमें निर्णय उनकी स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए I[2]

अंतरजातीय विवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व

1. वैज्ञानिक चिंतन का अभाव- भारतीय समाज मध्यकालीन मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया जो मानवकेन्द्रित चिन्तन, तर्कवाद की कसौटी पर सामाजिक परम्पराओं को कसता, जो इनके अनुकूल होती उन्हें स्वीकार्यता और जो सामाजिक कुरीतियाँ परम्पराओं में शामिल हो गई हैं उनको दूर करनाI राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवापुनर्विवाह और डा.अम्बेडकर ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन कर इन कुरीतियों के विरुद्द प्रतिकार किया I
2. संवैधानिक नैतिकता को अंगीकृत न कर पाना- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों (जाति, वंश, धर्म,लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं) में बन्धुत्व की भावना का विकास करने और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत वैज्ञानिक चिन्तन को बढ़ावा देने की बात की गयी है I

अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए किये जाने वाले प्रयास

डा. आम्बेडकर जैसे समतावादी दार्शनिक अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने पर बल देते हैं I बंद सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शादी जैसे संस्कार जातियों में ही सम्पन्न होते हैं I यह व्यवस्था संविधान प्रदत्त 'चयन के अधिकार' और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन करती है I[3]

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

मनोनयन – जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने के लिए, अंतरजातीय विवाह को सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए क़ानूनी प्रावधान से आगे बढ़कर सामाजिक नैतिकता में व्यापक सुधार करने होंगे I समाज के द्वारा जाति प्रथा को मिल रही स्वीकृति को खत्म करना पड़ेगा इसके लिए मनोनयन द्वारा नकारात्मक अभिवृत्ति को शून्य और फिर शून्य अभिवृति को सकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तित करना होगा I

मनोनयन की प्रक्रिया -

1. मनोनयन के लिए समाज को ऐसे रोल मॉडल के उदाहरण देने होंगे जिन्होंने 'अंतरजातीय विवाह' किया और समाज में विशिष्ट मुकाम अर्जित कियाI विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के उन नायकों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया थाI क्योंकि जातीय विवाह को संस्कृति से जोड़कर प्रचारित किया जाता रहा है I इसकी सामाजिक स्वीकार्यता के पीछे मुख्य प्रेरक बल यही है I
2. नागरिक समाज और एन.जी.ओ को बौद्धिक और भावनात्मक पहलुओं पर जोर देना चाहिए I अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल को जन समारोह में सम्मानित करना चाहिएI
3. मीडिया, सेलिब्रेटी (क्रिकेटर, नेता और अभिनेता) को निरंतर इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए I
4. आधुनिक चिंतन,तर्कवाद और मानवतावाद को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिएI

भारत में मृत्युदण्ड

1. भारत में जघन्य अपराध के मामले में (रेयर एंड रेयरेस्ट मामले में) अपराधी को अधिकतम मृत्युदण्ड की सजा दिए जाने का प्रावधान है I इस विषय को लेकर विद्वान दो खेमों में बंटे नजर आते हैं I एक ओर जहाँ राष्ट्रवादी धड़ा मृत्युदण्ड जैसे कठोर कानूनों की वकालत करता है वही मानवतावाद की दुहाई देने वाला बुद्धजीवी वर्ग मृत्युदंड दिए जाने का विरोध करता है I
2. मृत्युदण्ड के समर्थन में तर्क – राज्य द्वारा विधि का शासन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के चलते अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करने के लिए कठोर कानूनों का होना आवश्यक है I आपराधियों को यह सन्देश देना आवश्यक है कि इस तरह के कृत्य सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं I
3. संविधान ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को निरुद्ध करने का प्रावधान किया गया है I क्योंकि भारत में अलगाववाद, साम्प्रदायिकता और नक्सलवाद जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ऐसे में कठोर कानूनों का होना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है I
4. विधि निर्माताओं पर पर दबाव होता है कि बनाये गये कानून समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हो I दिल्ली में हुए निर्भया केस के बाद बलात्कार के मामले में मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान किया गया जिसके लिए जनता द्वारा मांग के गई थी I
5. भारत में मृत्युदण्ड की सज़ा पाने वाले अपराधी को सर्वोच्च न्यायालय में जाने और राष्ट्रपति के सम्मुख क्षमा याचना (अनुच्छेद-72) करने की सुविधा प्राप्त है I ऐसे में कोई कानूनी त्रुटि होने की संभावना अति न्यून हो जाती है I[4]

विपक्ष में तर्क –

1. मृत्यु दण्ड का प्रावधान संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार (अनुच्छेद-21) का उल्लंघन करता है I
2. ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो प्रमाणित कर सके कि मृत्युदण्ड जैसी सजाओं से बलात्कार या घृणित अपराधों में कमी आई हो I
3. विश्व के अधिकाँश देशों ने अपनी न्यायिक व्यवस्था से मृत्युदण्ड का प्रावधान हटा लिया हैI
4. यदि मृत्युदण्ड के बाद मामले में ऐसा कोई नया तथ्य सामने आये जो अपराधी को निर्दोष साबित कर सकता हो या अपराध की भयावहता को कम करता हो I तो मृतक को जिन्दा किस विधि से किया जायेगा ? इस अन्याय के लिए क्या राज्य जिम्मेदार नहीं होगा ?

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

5. कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता उसे अपराधी बनाने के लिए परिस्थियाँ जिम्मेदार होती है I जिनके लिए समाज भी उत्तरदायी हैI ऐसे में मृत्युदंड जैसी कठोर सजा सिर्फ़ अपराधी को ही क्यों मिले ?
6. गांधी जी ने कहा है कि आँख के बदले आंख की नीति सारे संसार को अँधा बना देगी I इस प्रकार सज़ा का उद्देश्य अपराधी से प्रतिशोध लेना नहीं बल्कि उसे सुधार करने हेतु अवसर देने से है I जबकि मृत्युदण्ड अपराधी को इस अवसर से वंचित करता है I

कानून का उद्देश्य अपराधी को सुधार का अवसर प्रदान करने के साथ ही लोक व्यवस्था को निर्बाध रूप से संचालित करने से हैI अर्थात अपराध के विरुद्ध न्यूनतम डिटरेंस उत्पन्न करने से है I इसलिए मृत्युदण्ड जैसे कानूनों का होना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के साथ ही लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है, किन्तु इनका प्रयोग 'रेयर एंड रेयरेस्ट मामलों' में ही होना चाहिए I कोई भी कानून अपनी प्रकृति में उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना कि उसका क्रियान्वयन उसे साबित कर सकता है I

विचार-विमर्श

सच यही है कि जाति एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भारत में सिर्फ अपना रूप बदल रही है। 1932 में समाजशास्त्री जी.एस. घुरिए ने 'कास्ट एंड रेसेस' में जाति के लक्षणों की चर्चा की। जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए समाज में उसकी खास जगह, खान-पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव और अंतरजातीय विवाह पर रोक अपरिहार्य माने गए। धीरे-धीरे इन लक्षणों में परिवर्तन आया, जिसका सबसे बड़ा कारण कानूनी बाध्यता थी। यानी यह डर कि जाति के आधार पर भेदभाव किया तो आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। परंतु विवाह संस्था आपराधिक मुकदमों के दायरे से बाहर रही। इसलिए अगर कुछ नहीं बदला तो वह है अंतरजातीय विवाह पर सामाजिक प्रतिबंध। अंतरजातीय विवाह को कानून बनाकर तो रोका नहीं जा सकता, परंतु सामाजिक दबाव के चलते कोई सहज ही इस ओर कदम नहीं बढ़ाता। एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि तमाम सर्वेक्षणों में जिन लोगों ने अंतरजातीय विवाह के संबंध में सकारात्मक उत्तर दिए हैं, वे भी समय आने पर अपने जीवन में जातिगत विवाह को ही प्राथमिकता देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि सर्वेक्षणकर्ता के आगे कोई खुद को रूढ़िग्रस्त नहीं दिखाना चाहता।[5]

प्रश्न यह भी उठता है कि क्या अंतरजातीय विवाह भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं थे? आनुवांशिक अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 1900 वर्ष पहले तक अंतरजातीय विवाह एक सामान्य प्रथा हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज यह सामाजिक रूप से प्रतिबंधित स्थिति में आ गया है? इसका सीधा कारण है प्रभुत्व और वर्चस्व की चाह। जाति व्यवस्था सदियों से जाति भीतर विवाह के सहारे ही टिकी हुई है। अंतरजातीय विवाह में छूट देने का मतलब है जातिगत बंधनों का कमजोर पड़ना। ऊंची जातियां स्वयं को श्रेष्ठ मानती हैं और इसे रक्त की पवित्रता से जोड़ कर देखती हैं लिहाजा कथित छोटी जाति में विवाह शुद्धता की धारणा के खिलाफ जाता है। पवित्रता और शुद्धता के मानक इतने कठोर हैं कि इनको तोड़ने का साहस कोई नहीं करता। दलित बहुजन भी अक्सर खुद से नीची जातियों के साथ वही करते हैं जो ऊंची जातियों के लोग उनके साथ करते हैं।

सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी के लोक फाउंडेशन द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एक एक दीर्घकालीन सर्वे के अनुसार 2018 तक 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकारा कि उन्होंने अरेंज्ड मैरिज की है। इसी सर्वेक्षण में तीन चौथाई उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने बच्चों के अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे। अध्ययन यह साफ कर देता है कि जाति व्यवस्था में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। यहां एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि शिक्षा, कानूनी प्रावधान और शहरीकरण ने जाति की जड़ों को ढीला क्यों नहीं किया। दरअसल, हमारी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था उन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार कर लेती है जो लाभ के सौदे होते हैं, परंतु जहां यह गणित नहीं बैठता, वहां परिवर्तन सहज नहीं होता। यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि भारत के उच्च शिक्षित युवा भी अंतरजातीय विवाह से क्यों कतराते हैं। वे अपनी ही जाति में विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक और पारिवारिक अस्वीकृति का डर रहता है। प्रेम संबंधों से उन्हें गुरेज नहीं होता पर टकराव में जाने के बजाय उन्हें अपने अभिभावकों की इच्छा से विवाह करना सहज लगता है।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

जातिगत भेदभाव और विवाह के संबंध में डॉ. आंबेडकर ने 1936 में कहा था, 'मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जातिगत भेदभाव को मिटाने का अचूक उपाय एक ही है- अंतरजातीय विवाह।' लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि और तो और, अमेरिका में लंबे समय से बसे भारतीय भी विवाह अपनी जाति में ही करना पसंद करते हैं। जाति और विवाह के नियम समाज द्वारा निर्मित हैं। समाज जिसे बना सकता है, उसे मिटा भी सकता है। पर क्या ऐसा होगा? निकट भविष्य में यह संभव होता नहीं दिखाई देता क्योंकि प्रभुत्व और वर्चस्व की लालसा कोई भी समाज त्यागने को आसानी से तैयार नहीं होता। ऐसे में कथित ऊंची जातियां अपना यह मोह भला क्यों त्यागना चाहेंगी?

और अगर हम यह सोच रहे हैं कि उच्च शिक्षा शायद उनके इस नजरिये में परिवर्तन ला दे तो यह हमारा भ्रम है। इस देश में एक बच्चा बड़ा होने तक जाति का जिक्र इतनी बार सुन चुका होता है कि उसे वह अपनी पहचान और व्यक्तित्व का हिस्सा लगने लगती है। अंतरजातीय विवाह उस अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर देता है। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि जब तक स्कूल से लेकर चुनाव लड़ने तक भरे जाने वाले फॉर्मों में जाति का कॉलम अपनी जगह बनाए रखेगा तब तक जाति इस देश में मजबूती से डटी रहेगी।[6]

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संशोधन के बाद हिंदू समाज में विवाह एक समारोह था, लेकिन इसे एक समझौते के रूप में माना जा सकता है। किसी भी मामले में, अभी भी, रिलेशनल यूनियन मौलिक रूप से जाति (रैंक) और अप-जाति (सब-स्टेशन) के प्रथागत आधार पर होती हैं। इसका तात्पर्य है कि विवाह, धर्म में अंतर्निहित नींव के साथ जातिवस्था (रैंक फ्रेमवर्क) से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने विशेष रूप से अंतर-जातीय विवाह योजना को अग्रिम इक्विटी के साथ परिचित कराया है। योजना के तहत, केरल सरकार विवाहित जोड़ों को संभोग करने के लिए धन संबंधी मदद देती है। यह योजना बुक की गई स्थिति या नियोजित कबीले के तहत सहेजे गए जोड़ों के लिए प्रासंगिक नहीं है। इन फ़ायदों को प्राप्त करने के लिए, विवाह का समर्थन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

योजना का उद्देश्य

सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने के एक तरीके के रूप में, भारत सरकार ने डॉ अंबेडकर योजना नामक अंतरजातीय विवाह योजना में लाया। विभिन्न जातियों में विवाहित जोड़ों को सशक्त बनाने के लिए, सरकार उन्हें अपने शुरुआती चरण के दौरान वित्तीय मदद करती है। यह रोजगार और गरीबी के स्तर को कम करने के लिए एक पूरक योजना है।

योजना की विशेषताएं

- यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉ अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष दंपति को अनुदान का समर्थन करने के लिए होगी।
- पर्याप्त प्रभारी के लिए झूठे / मनगढ़ंत डेटा को प्रस्तुत करना या उपयोग करना उस कानून के अनुसार अभियोग योग्य होगा जो विशेष समय पर लागू किया जा रहा है।
- विभिन्न अनुदान सभी योग्य अंतर-जाति विवाहित जोड़ों को एकमुश्त धनराशि देकर 30,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि देकर संबंधित सरकार द्वारा जोड़े गए मौद्रिक मदद को अतिरिक्त रूप से शामिल करते हैं। राशि को स्वीकार करते हुए, जोड़ों को एक व्यवस्था के लिए सहमति और एलएसजीआई को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- इस योजना के तहत अनुदान का उपयोग उक्त उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है: व्यवसाय शुरू करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, एक घर का निर्माण

एलएसजीआई यह सुनिश्चित करेगा कि परिसंपत्तियों का उपयोग पहले उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या नहीं।[7]

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

प्रोत्साहन की डिग्री

- एक वैध जाति विवाह के लिए अनुदान प्रति विवाह 2.50 लाख होगा। योग्य जोड़ों को अपने संयुक्त नाम में डीडी के रूप में अनुदान का आधा हिस्सा मिलेगा और 5 साल के बाद समानता आधी होगी।
- इस योजना से एक ही वर्ष में 500 ऐसी रिलेशनल यूनियनों को अनुदान मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए भौतिक ध्यान एससी जनसंख्या की दर की पेशकश के अनुसार तय किया गया है। योजना के तहत प्रोत्साहन के आगमन के लिए राज्यवार ध्यान को अनुबंध के रूप में जोड़ा गया है।
- प्रत्येक विवाह के लिए लगभग 25,000 को जिला अधिकारियों को युगल को देने के लिए छुट्टी दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़:

- राशन पत्रिका
- जोड़े का वेतन प्रमाणपत्र – मूल जमा किया जाना चाहिए
- अंतर-जाति विवाह प्रवर्तन विज्ञापन (विवाह प्रमाणीकरण) (उप पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पंचायत अध्यक्ष, एनएसएस या एसएनडी से जारी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।)
- दोनों जीवनसाथी का जातिगत समर्थन
- हाल ही में एक साल के लिए विवाहित जोड़े की घोषणा की गई है। (यह राजपत्रित अधिकारी, विधायक और चिंता क्षेत्र के सांसद से प्राप्त होता है)
- पहचान की छत, उदाहरण के लिए, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड कॉपी।
- अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन करना[8]

परिणाम

जाति व्यवस्था भारत की सच्चाई है और धार्मिक कट्टरता को बनाए रखना आज की राजनीति की जरुरत है. अंतर जातीय और धार्मिक विवाह पर बनी वर्षों पुरानी धारणाओं को राजनीति का चोला पहनाकर आज आम लोगों पर थोपा जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में अंतरजातीय एवं अंतर धार्मिक विवाहों में हिंसा के मामले बढ़े हैं. इसमें से कुछ मामले हैं जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को हिला कर रख दिया जैसे कि हरियाणा से मनोज और बबली का मामला, नासिक की सोनाई ऑनर किलिंग, शंकर और कौशल्या का मामला; तमिलनाडु से नंदीश स्वाति का मामला, अहमदनगर से नितिन आगे का मामला, नलगोंडा से प्रणय और अमृता का मामला, हाल ही में पुणे से विराज जगताप ऑनर किलिंग का मामला राष्ट्रीय मीडिया पर सुर्ख़ियों में रहा है. इस तरह की घटनाओं नें भारतीय घर्म और जाति समाज की कठोर वास्तविकता को उजागर किया है.

लव जिहाद और डर की राजनीति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके परिवार संगठन अपने राजनीतिक लाभ के लिए तथा अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों में द्वेष उत्पन्न करने के उद्देश्य से अलग-अलग कैंपेन चलाते रहे हैं. लव जिहाद उसी में से एक है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरफ अपने शीर्ष नेतृत्व में ऊंची जाति के जाति विशेष के लोगों को ही बिठाता आया है. लेकिन लोगों के आंखों में धूल फेंकने के लिए अपने आपको हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के विरोध में दिखाने का प्रयास करता है. इसलिए उन्होंने 'सामाजिक समरसता मंच' नाम से संगठन खोल रखा है. उसके द्वारा वह अंतरजातीय विवाह से भी परहेज नहीं करने का दिखावा करता है. असल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति व्यवस्था में विश्वास रखता है और उसी के चलते स्मृति कथा, पुराण, धर्म ग्रंथों में समावेशित जाति भेदभाव का महिमा मंडन करता आया है.

तथाकथित हिंदू अस्मिता जगाने के लिए और हिंदू बहु संख्यक की राजनीति करने के लिए वह दिखावा स्वरूप दुश्मन

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

अल्पसंख्यकों को बताता आया है. जहां पर लोग सबसे संवेदनशील और भावुक होते हैं वहां ऐसे लोग शादियों के रिश्ते तथा खून के रिश्ते बनाने की परंपराओं को गलत तरीके से व्याख्यायित करना चाहते हैं. यह एक प्रकार की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है. इसे हम "डर की राजनीति" कह सकते हैं. अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर नकारात्मक बातें फैलाने, लड़की को घर की इज्जत बताकर इस तरह का डर लव जिहाद के द्वारा हिंदुओं में संघ परिवार फैलाता रहा है. जहां पर बीजेपी को चुनावी रणनीति के तहत विभिन्न जातियों में द्वेष फैलाना होता है वहां पर भी जाति का इस्तेमाल वह बखूबी करती है. आरएसएस बीजेपी के राजनीति का आधार देश के धर्म और जाति में नफरत की व्यवस्था ही रही है.

हालाँकि कुछ दिन पहले अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त "प्यू रिसर्च सेंटर"(Pew Research Centre) ने भारत में सर्वे करवाया. उसमें पाए गए निष्कर्ष समतामूलक समाज निर्माण करने का उद्देश्य रख रहे सभी प्रगतिशील विचारधारा के सामने चुनौती बनकर उभरे हैं. इस रिपोर्ट में लगभग सभी धर्म के लोगों में अन्तर जातीय व् अन्तर धार्मिक विवाह को लेकर लगभग समान मत देखा गया है. इनके अनुसार:

अंतर धार्मिक विवाह
अंतर धर्मी विवाह की यह धारणा उन परंपराओं और आदतों में परिलक्षित होती है जो भारत के धार्मिक समूहों को अलग करती हैं. उदाहरण के लिए, धार्मिक आधार पर विवाह और संबंधित धार्मिक रूपांतरण अत्यंत भिन्न अवधारणा हैं. अलग-अलग धार्मिक समुदायों में शादी को लेकर धारणाएँ काफी मिलती-जुलती हैं. कई धार्मिक समूहों में कई भारतीय कहते हैं कि अपने समुदाय के लोगों को अन्य धार्मिक समूहों में शादी करने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है. भारत में मोटे तौर पर दो-तिहाई हिंदू, हिंदू महिलाओं (67%) या हिंदू पुरुषों (65%) के अंतर्धार्मिक विवाह को रोकना चाहते हैं. मुसलमानों के बड़े हिस्से भी ऐसा ही महसूस करते हैं. 80% का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके धर्म से बाहर शादी करने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, और 76% का कहना है कि मुस्लिम पुरुषों को ऐसा करने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है. 37% क्रिश्चियन लोगों का क्रिश्चियन महिलाओं को और 35% लोगों का मानना है कि पुरुषों को धर्म से बाहर शादी करने से रोकना जरूरी है. उसी तरह 59% सिख लोगों का महिलाओं को और 58% लोगों का पुरुषों के लिए मानना है कि सिख धर्म के बाहर शादी करने से रोकना आवश्यक है. बौद्ध धर्म के लोग महिलाओं के लिए 46% और पुरुषों के लिए 44% लोग धर्म से बाहर शादी करने के खिलाफ हैं. जैन धर्म में भी महिलाओं के लिए 66% और पुरुषों के लिए 59% लोग धर्म के बाहर शादी करने के पक्ष में नहीं हैं.

अंतर जाति विवाह
भारत देश में 6000 से ज्यादा जाति और उपजातियां हैं. जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं. लेकिन वह दो अलग-अलग जातियों में हो रहे जातिगत भेदभाव की बात नहीं करते हैं. बिना जाति भेदभाव को खत्म किए, बिना एकजुट हुए यहां असली राष्ट्रवाद पनप नहीं सकता. कागज पर लगभग सभी संगठन, सभी विचारधाराएं जाति व्यवस्था के विरोध की बात करते हैं. लेकिन कुछ चुनिंदा संगठन को छोड़कर शेष जमीन पर उस जाति व्यवस्था के विरोध पर काम नहीं करते. व्यवहार में कथनी और करनी का यह दोहरा रवैया आजकल सामान्य बनता जा रहा है. [9]

देश में लगभग हर जाति और उपजाति के संगठन पैदा हो चुके हैं. उस विशेष जाति को लाभ पहुंचाने के या उनका आर्थिक सामाजिक स्तर बढ़ाने का काम करने के उनके प्रयासों की प्रशंसा होनी चाहिए. लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि शोषण की यह जाति व्यवस्था पूरी तरीके से जड़ से नष्ट की जाए? इस को नष्ट करने के लिए इन संगठनों के पास क्या कार्यक्रम एवं उपाय है? जाति उद्धार और जाति व्यवस्था की समाप्ति दोनों ही आवश्यक कदम हैं. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने "अनहिलेशन ऑफ कास्ट" नाम की उनकी किताब में जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की दिशा में अंतर जाति विवाह को आवश्यक कदम माना है. महात्मा फुले ने तो अपने अनुयाईयों का अंतर जाति विवाह करवाया था. संत महात्मा बसवेश्वर जी को तो अपने अनुयाई ऊंची जाति के मधुबरस और पिछड़ी जाति के हरलया इनके पुत्र और पुत्री का अंतरजातीय विवाह करवाने के लिए राजा और उसकी सेना की दुश्मनी झेलनी पड़ी थी जिसकी परिणति युद्ध तक भी पहुँच गयी. महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होने के बाद 1935 में यह कसम खाई थी कि वह इसके बाद सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जाति के विवाह समारोह में ही उपस्थित रहेंगे. इस कसम के चलते उन्होंने रिश्तेदार की अपनी ही जाति में होने वाली शादी में उपस्थित रहने से मना कर दिया. कुल मिलाकर जितने भी समाज सुधारक रहे हैं उन्होंने अंतर जाति विवाह का समर्थन करते हुए उनको प्रोत्साहन दिया है. आज हम 21वीं सदी में मिलेनियम युवा पीढ़ी की बात करते हैं. लेकिन आज भी यह अंतरजातीय व् अंतर धार्मिक विवाह सहजता से अपनाए

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

नहीं जाते.

इस सन्दर्भ में प्यू रिसर्च सेंटर बताता है कि 64% भारतीयों का कहना है कि अपने समुदाय की महिलाओं को दूसरी जातियों में शादी करने से रोकना बहुत ज़रूरी है, और लगभग उसी हिस्से (62%) का कहना है कि उनके समुदाय के पुरुषों को दूसरी जातियों में शादी करने से रोकना बहुत ज़रूरी है. ये आंकड़े विभिन्न जातियों के सदस्यों में केवल मामूली रूप से भिन्न होते हैं. जनरल कैटेगरी में 62% पुरुषों के लिए और 64% महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति में 59% पुरुषों के लिए और 60% महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति में 66% पुरुषों के लिए और 68% महिलाओं के लिए,OBC जाति में 67% पुरुषों के लिए और 69% महिलाओं के लिए अंतरजातीय विवाह रोकना जरूरी मानते हैं.

ऐसे ही अगर हम धर्म के आधार पर अंतर जाति विवाह के विरोध के लिए इस सर्वे का विश्लेषण करते हैं तो हिंदुओं में 63% लोग पुरुषों के लिए और 64% लोग महिलाओं के लिए, क्रिश्चियन में 36% पुरुषों के लिए और 37% महिलाओं के लिए, सिख धर्म में 59% पुरुषों के लिए और 60% महिलाओं के लिए, बौद्ध धर्म में 44% पुरुषों के लिए और 44% महिलाओं के लिए, जैन धर्म में 57% पुरुषों के लिए और 61% महिलाओं के लिए अंतर जाति विवाह रोकना आवश्यक है. अधिकांश हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन पुरुष और महिला दोनों के अंतर्जातीय विवाह को रोकना एक उच्च प्राथमिकता मानते हैं. तुलनात्मक रूप से, कम बौद्ध और ईसाई कहते हैं कि इस तरह के विवाह को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है. हालांकि दोनों समूहों के बहुमत के लिए, लोगों को अपनी जाति से बाहर शादी करने से रोकना कम से कम "कुछ हद तक" महत्वपूर्ण है.

भारत के दक्षिण और पूर्वोत्तर में सर्वेक्षण किए गए लोगों को अपने समुदायों में अधिक जातिगत भेदभाव दिखाई देता है, और वे कुल मिलाकर अन्य भारतीयों की तुलना में अंतर-जातीय विवाह पर कम आपत्तियां उठाते हैं. इस बीच, कॉलेज में पढ़े-लिखे भारतीयों के कम शिक्षा वाले लोगों की तुलना में यह कहने की संभावना कम है कि अंतर-जातीय विवाह रोकना एक उच्च प्राथमिकता है. लेकिन, सबसे उच्च शिक्षित समूह के भीतर भी, लगभग आधे लोगों का कहना है कि इस तरह के विवाह को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है.

सम्मान और श्रेष्ठता जैसी धारणाओं का मूल कारण धार्मिक ग्रंथों में निहित जाति-आधारित आधिपत्य रही है. यह ऋग्वेद का पुरुष सूक्त था जिसने चतुर्वर्ण प्रणाली के विचार को सामने रखा. हिंदू सामाजिक संगठन में, वर्ण सामाजिक स्तरीकरण का आधार है. जाति की संस्था भारतीय इतिहास के प्रारंभिक चरणों से अस्तित्व में रही है. नस्लें, जो अलग-अलग समय पर भारत में आईं, धीरे-धीरे मौजूदा जातियों में विलीन होती चली गयीं. उन्हें कुलीन जातियों द्वारा 'अशुद्धता' और 'पवित्रता' की अवधारणा के आधार पर विभिन्न व्यावसायिक कार्यों के साथ सौंपा गया था. यहां तक कि किसी अन्य जाति समूह के साथ विवाह संबंध भी सख्त वर्जित थे. केवल 'अनुलोम' विवाह की अनुमति थी.[10]
"यदि हम हिंदू धर्म में विवाह प्रणाली को देखें, तो किन्हीं दो जातियों के बीच विवाह को अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है जिसे पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया. उन्हें केवल वर्ण व्यवस्था के भीतर अंतर्विवाह विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. अंतर्जातीय विवाह के दो रूप थे, यानी 'अनुलोम'(5) (हाइपरगैमस) और 'प्रतिलोम' (हाइपोगैमी)। अनुलोम विवाह अन्तर्जातीय विवाह का एक रूप है जिसमें उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की महिलाओं से विवाह करते हैं. प्रतिलोम विवाहों में निम्न जाति के पुरुष उच्च जाति की स्त्रियों से विवाह करते हैं. मनु और अन्य प्राचीन ग्रंथों ने अनुलोम निर्धारित किया है. प्रतिलोम अर्थात स्त्री का निचली जाति के पुरुष से विवाह की अनुमति नहीं है."

19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों की एक लहर थी, जिन्होंने रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया. जाति व्यवस्था में सार्थक परिवर्तन लाने का श्रेय जोतिबा फुले, डॉ बी आर अंबेडकर, ई वी रामासामी पेरियार और कई अन्य को जाता है. अंतर्जातीय विवाह के संबंध में, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और ई.वी. रामासामी पेरियार के दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस पर विचार करने की आवश्यकता है. “जाति विनाश” पुस्तक में डॉ बी आर अम्बेडकर ने कहा, "एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए? जाति कैसे खत्म करें? अंतर्जातीय भोजन करने वालों के अलावा, मुझे विश्वास है कि असली उपाय अंतर जातीय विवाह है. खून का मेल ही नातेदार होने की भावना पैदा कर सकता है और जब तक यह नातेदारी की भावना सर्वोपरि नहीं हो जाती है तब तक जाति द्वारा बनाई गई अलगाववादी भावना गायब नहीं होगी. हिंदुओं में अंतर्विवाह अनिवार्य रूप से गैर-हिंदुओं के जीवन की अपेक्षा सामाजिक जीवन में अधिक बल का कारक होना चाहिए. जहाँ समाज पहले से ही अन्य बन्धनों से बँधा हुआ है, वहाँ विवाह जीवन की एक सामान्य घटना है. लेकिन जहां समाज टूट जाता

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

है, वहां विवाह एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में तत्काल आवश्यकता का विषय बन जाता है. जाति तोड़ने का असली उपाय अंतर्विवाह है. और कुछ भी जाति के विनाशक के रूप में काम नहीं करेगा."

डॉ बी आर अंबेडकर ने अंतर-जातीय विवाह को जाति को खत्म करने के कदमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कदम करार दिया।

"यहां तक कि ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया. उन्होंने इसे जाति व्यवस्था के विभिन्न तत्वों के खिलाफ लड़ने का साधन बताया. उन्होंने इसका स्पष्ट समर्थन किया. 'विवाह एक महिला और एक पुरुष के बीच एक अनुबंध है. उनके द्वारा शुरू किए गए आत्म-सम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी चिंता के रूप में विवाह का एहसास कराना था और माता-पिता का हस्तक्षेप केवल अनुचित है. उन्होंने आगे दावा किया कि, इस तरह के अरेंज मैरिज में बड़ों की अत्यधिक भागीदारी दहेज प्रथा को मजबूत करती है". डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जाति व्यवस्था की समस्या को लेकर कितने गंभीर थे यह उनके लेख और किताबों से पता चलता है. उन्होंने कहा था,"जब तक भारत में जाति मौजूद है, हिंदू शायद ही अंतर्जातीय विवाह करेंगे या बाहरी लोगों के साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं रखेंगे और यदि हिंदू पृथ्वी पर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो भारतीय जाति एक विश्व समस्या बन जाएगी."

यह सच है कि भारत में जाति और धर्म की कट्टरता वर्षों से रही है लेकिन यह भी गौरतलब है कि जाति और धर्म का राजनीति में बेजा इस्तेमाल वर्तमान बीजेपी आरएसएस की सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसकी परिणति नफरत और हिंसा तक पहुच चुकी है और जो भारत के धार्मिक सौहाद्र को चुनौती दे रही है. रिसर्च यह जरुर बताते हैं कि सामान्य जनमानुष अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह के पक्ष में नहीं हैं लेकिन इसका उपयोग राजनीति में करना वर्त्तमान सरकार के डर को दिखाता है. वर्तमान भारत अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को लेकर उदात नहीं है और यह राजनीति के हलक में भी अटका हुआ है. आजादी के 75 साल बाद भी देश के यह हालत हमारे पिछड़ेपन और संकीर्णता का सूचक है.

निष्कर्ष

जात-पात को खत्म करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले देश के संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि अगर इस देश से जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीयखान-पान को बढ़ावा देना होगा. आजादी के 70 साल बाद भी भारत जैसे घोर जातीवादी समाज देश में दो अलग-अलग जातियों के बीच शादी करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम है. लोग अपनी तथाकथित शान के खातिर अपने बेटे-बेटियों की हत्या तक कर देते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं होने देते हैं. अंतरजातीय विवाह का लेकर तमाम जागरुकता अभियान करने के बाद भी लोग सड़े हुए तालाब रुपी जातिगत जाल से नही निकल पा रहे हैं जो कि वास्तव में अमानवीय और अव्यवहारिक है. लेकिन आपको ये जान कर खुशी होगी कि केन्द्र सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आई है जिसके तहत शादी करने पर आपको काफी पैसे मिल सकते है. यह राशि अलग-अलग राज्यो में 50 हजार ले कर पांच लाख रुपये तक की है. डा. अबेडकर फाउंडेशन योजना द्वारा एक साल में कुल 500 अंतरजातीय जोड़ियों को आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत स्थानीय विधायक या सांसद राज्य सरकार के पास सिफारिश भेजते हैं जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा सीधे फाउंडेशन के पास आवेदन भेजा जाता है. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई राज्य सरकारों ने अलग-अलग राशि देने का प्रावधान किया है. ओडिशा और बिहार सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाली जोड़ी को एक लाख रुपये की राशि देती है. वहीं हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति की पुरुष या महिला को गैर-अनुसूचित जाति में शादी करने पर एक लाख एक हजार रुपये की राशि देती है. इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार इस तरह विवाह करने वाली जोड़ी को 75,000 रुपये देती है. कर्नाटक सरकार अंतरजातीय विवाह में दूल्हन को तीन लाख और पति को दो लाख रुपये देती है. यह एकमात्र ऐसा राज्य है जो अंर्तजातीय शादी करने वालों को पांच लाख रुपये देता है. इसी तरह राजस्थान सरकार भी अंतरजातीय शादी करने वालों को पांच लाख रुपया देती है.

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत अंतरजातीय शादी करने वाली जोड़ी को दो लाख रुपया दिया जाता है. वहीं गोवा सरकार ने इस तरह विवाह करने वालों के लिए एक लाख रुपये की राशि निर्धारित की है. इस योजना के तहत साल 2014-15

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 4, April 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0904030 |

में 15,711 लोग और साल 2015-16 में 14,681 लोगों को लाभ मिला है. सरकार ने अनुमान लगाया है कि साल 2016-17 में लाभान्वित लोगों की संख्या 20,000 रहने की उम्मीद है. सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की "अंतरजातीय विवाह के लिए डा. अबेडकर फाउंडेशन योजना" के तहत अंतरजातीय विवाह करने वालों को ढाई लाख रुपया दिया जाता है. इस योजना का उद्देश्य है कि देश में ज्यादा से ज्यादा अंतरजातीय शादियों को बढ़ावा दिया जा सके. यह फंड पूरी तरीके से अंतरजातीय विवाह के लिए समर्पित है.[11]

संदर्भ

1. '"Marriages under Special Marriage Act not governed by personal laws"'.2012
2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
3. हिन्दू विवाह अधिनियम (हिन्दी में)
4. हिन्दू विधि भाग 1 : जानिए हिन्दू विधि (Hindu Law) और हिंदू विवाह (Hindu Marriage) से संबंधित आधारभूत बातें 2011
5. एक नजर में : हिन्दू विवाह अधिनियम (देशबन्धु) 2013
6. नए तलाक कानून से बदल सकते हैं रिश्ते (अमर उजाला) 2015
7. वैयक्तिक कानून 2010
8. All the sections of Hindu Marriage Act 2011
9. Family Laws - Hindu Law, Muslim Laws, Special Marriage Act 2012
10. Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010
11. Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010

Impact Factor: 7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com